भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- *41
दिनांक 25 जून, 2019 के लिए प्रश्न

मात्स्यिकी को बढ़ावा देना

***41. श्री कौशलेन्द्र कुमारः**
श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:

क्या मात्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बिहार, विशेषकर नालंदा जिले में मात्स्यिकी के प्रति जागरूकता बढ़ी है और क्या यह जिला मात्स्यिकी के क्षेत्र में बिहार में शीर्षस्थ जिला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) मात्स्यिकी को बढ़ावा देने हेतु किसानों को मुहैया कराई जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का मात्स्यिकी को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता के लिये कोई नीति/ कार्यक्रम आरंभ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह नीति/कार्यक्रम कब तक कार्यान्वित किया जाएगा; और

(घ) क्या सरकार मात्स्यिकी में पानी की वृहत आवश्यकता तथा महंगे डीजल के दृष्टिगत मात्स्यिकी व्यवसाय में लगे किसानों को ब्याज- मुक्त ऋण सहित विशेष वित्तीय सहायता मुहैया कराने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क)से (**घ**): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 41* 'मात्स्यिकी को बढ़ावा देना' पर 25 जून, 2019 को दिए जाने वाले उत्तर (क) से (घ) के संबंध में विवरण।

(क) जी, हां। बिहार सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मछली-पालन के प्रति नालंदा सहित, जो राज्य के तेजी से विकसित हो रहे जिलों में से एक है, पूरे राज्य में सेमिनारों, कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता बढ़ायी गयी है। भारत सरकार तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के शुरू किए जाने के उपरांत मछली-पालन की लोकप्रियता बढ़ रही है। नालंदा जिले से लगभग 370 किसानों को मछलीपालन में प्रशिक्षण दिया गया है।

(ख) तथा **(ग)** मत्स्यपालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय का मत्स्यपालन विभाग एक केंद्रीय प्रयोजित योजना (सी.एस.एस.) "नीली क्रांति: मात्स्यिकी का एकीकृत विकास तथा प्रबंधन" का कार्यान्वन कर रहा है, जिसमे "अंतर्देशीय एवं जलकृषि का विकास" भी एक घटक है। उपरोक्त घटक के अंतर्गत, मत्स्य-बीज़ हैचरी/ झींगा हैचरी स्थापित करने, नए तालाब, मत्स्य-बीज़ पालन इकाई का निर्माण करने, आर्द्रभूमि, केज/पैन कल्चर तथा पुनरावर्ती जलकृषि प्रणाली (आर.ए.एस.) आदि के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

(घ) जी, नहीं। मत्स्य पालकों को ब्याज मुक्त ऋण देने की कोई योजना नहीं है।

*****